International Journal of Sociology and Political Science
www.sociologyjournal.in
Online ISSN: 2664-7745, Print ISSN: 2664-7737
Received: 25-04-2022, Accepted: 11-05-2022, Published: 26-05-2022
Volume 4, Issue 1, 2022, Page No. 47-49

मध्यप्रदेश के झाबुआ और अलीराजपुर में महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता पर अम्बेडकर का प्रभाव

ममलेश कुमावत
पीएचडी शोधार्थी, डॉ. बी आर अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय, डा. अम्बेडकर नगर, महू, मध्यप्रदेश, भारत

सारांश
अम्बेडकर का मानना था कि सही अर्थो में मैं किसी भी देश की प्रगति को इस पैमाने पर परखता हूँ कि उस देश में महिलाओं की स्थिति क्या है। सही अर्थो में प्रजातंत्र तभी आयेगा। जब महिलाओं को पिता की पैतृक सम्पत्ति में पुत्रों के बराबर हिस्सा मिलेगा। उन्हें पुरूषों के समान अधिकार मिलेगे। महिलाओं की प्रगति तभी होगी जब उन्हें परिवार समाज में दोएम दर्जे का न माना जाये। शिक्षा पर पहुंच और आर्थिक उन्नति महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता साकार हो सकेगी। 5 फरवरी 1951 को डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संसद में हिन्दू कोड बिल पेश किया था। इसका उद्देश्य महिलाओं को सामाजिक शोषण व अत्याचार से मुक्त कराना और पुरूषों के बराबरी पर लाकर खड़ा करना था। महिला सश्क्तीकरण व राजनीतिक सहभागिता के क्षेत्र में इस ऐतिहासिक पहल से आज शायद ही बहुत अधिक लड़किया रूबरू हागी। इन सभी को जानने समझने की जरूरत है कि इसे हिन्दू कोड बिल में महिला सशक्तीकरण की व्याख्या निहित है। इसके पहले धार्मिक मान्यताओं पराम्पराओं रीतिरिवाजों में महिलाओं के अधिकारों को लेकर विभिन्न मत थे। एक मत यह था कि स्त्री धन विद्या और शक्ति की देवी है। मनुसंहिता में लिखा है ''यत्र नारियस्ति पुजन्ते तत्र देवता रमन्ते'' अर्थात् जहां नारी की पूजा होती है वहां देवताओं का निवास होता है। दूसरी ओर ऋग्वेद में बेटी के जन्म को दुखों की खान और बेटे को नभ की ज्योति के समतुल्य माना गया है। ऋग्वेद में ही नारी के मनोरंजन कारी भोग्या रूप का वर्णन किया गया है एवं नियोग प्रथा को भी पवित्र कार्य का दर्जा दिया गया है। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि ब्राह्मण धर्म शास्त्रों में स्त्रियों के शोषण का वर्णन मिलता है यह कोई अकेला उदाहरण नहीं है यह सभी धर्मों में महिलाओं की उपेक्षा से धर्मशास्त्र भरा पड़ा है।

मूल शब्दः अम्बेडकर का योगदान, भारतीय संविधान, राजीतिक सहभागिता

प्रस्तावना
कालजयी अम्बेडकर के लेखों से यह पता चलता है कि जितना महिलाओं के हक हुकूमत के बारे में न सिर्फ चिन्ता को व्यक्त किया बल्कि उन्होंने कानून के मंत्री पद से स्तीफा भी दिया था। यह अम्बेडकर के आजीवन अथक प्रयासो संघर्षो का परिणाम है कि महिलाओं के उन तमाम हाशियाकरण के मुद्वों को उठाया और उद्वारक के रूप में उद्वार किया। जिस समय पूरी दुनिया में पूरब से लेकर पश्चिम देशों में स्त्रियों को वस्तु भोग की साधनतः इकाई के रूप में समझा गया था। यही कारण है कि स्त्रियों का व्यापार उसी प्रकार से प्रचलन में था जिस तरह वस्तु व्यापार स्थापित था। उस व्यापार में उन्हें उसी तरह खरीद फरोख्त में शमिल किया जाता था जिस तरह अफ्रीका के काले गुलामों को यूरोप के बाजार में किया जाता था। आद्योगिक क्रान्ति के दौर में स्त्रियों ओर पुरूषों को मशीनों के साथ चौबीसों घण्टे साथ काम करना पड़ता था। इसाईयत पवित्र धार्मिक ग्रन्थ कुरान में भी इसका जिक्र है कि गुलाम स्त्री पुरूष अपनी स्वतंत्र्य मर्जी से यौन संबंध स्थापित करने के लिए विवाह भी नहीं कर सकते थे इसलिए इनका खतना कर दिया जाता था। यदि उनका ईश्वर अर्थात मालिक द्वारा स्थापित विवाह से उत्पन्न हुए गुलाम को मालिक पुनः बेच देता था। इससे पता चलता है कि पाश्चात्य सभ्यता महिलाओं के लिए नारकीय जीवन जीने के लिए अंधेरे युग में धकेल दिया था। उस समय डॉ. अम्बेडकर ने समझा कि किस प्रकार से गुलाम पुरूषों स्त्रियों महिलाओं ने हक अधिकारों के लिए औद्योगिक क्रान्ति की इसके बाद भी उन्हें वोट के अधिकार स्वतंत्रता समानता के अधिकारों से वंचित रखा गया था। परंतु डॉ. अम्बेडकर ने एक महान अर्थशास्त्री और संविधानवेत्ता के रूप में उन सभी उपेचित महिलाओं पुरूषों के अधिकारों को संविधान में सुरक्षित किया है। डॉ. अम्बेडकर ने चौबीसों घण्टें फैक्ट्रियों उद्वोगों और बंधुआ मज़दूरों को मुक्त कराया। उनके 8 घण्टों का काम काज निर्धारत किया । महिलाओं को मातृत्व अवकाश मुहैया कराया, कार्मिकों को साप्ताह में एक दिवस का अवकाश दिलाया। यह सभी एतिहासिक कार्य डॉ. अम्बेडकर ने महिलाओं के लिए के लिए राजनीतिक सशक्तीकरण और राजनीतिक सहभागिता के लिए ठोस पहला कदम उठाया था।

पुरूष प्रधान सत्ता का नियंत्रण
अब तक की सर्वेक्षण रिर्पोटों में पाया गया है कि महिलाओं की चुनावी भागीदारी में उनकी सामाजिक आर्थिक धार्मिक सांस्कृतिक स्थिति का विशेष प्रभाव रहा है। ग्राम पंचायतों की सामाजिक व्यवस्था में उच्च वर्ग की महिलाओं में राजनीतिक भागीदारी अधिक पाई जाती है जबकि अनुसूचित जाति जनजाति के महिला प्रतिनिधि राजनीतिक सहभागिता में अत्यधिक कमी पाई जाती है।पिछले कुछ वर्षों के चुनाव प्रक्रिया में महिला मतदाताओं की भूमिका में वृद्वि हुई है लेकिन मध्य प्रदेश में सबसे अधिक बहुसंख्यक आदिवासी जिला अलीराजपुर और झाबुआ में महिलाओं का मतदान पुरूषों से कही कम नहीं हैं और कुछ ग्राम पंचायतों में निर्वाचन क्षेत्रों पर आदिवासी पुरूषों की अपेक्षा महिलाओं में अधिक

मतदान देखा गया है। इसलिए अधिकांश महिलाओं का मानना है कि घरों में राजनीतिक सहभागिता के निर्णय लेने में सबसे बाधक तत्व पितृसत्तात्मक समाज या पुरूष प्रधान सत्ता के नियंत्रण का प्रभाव रूढ़िवादी सामाजिक ढाचा में स्पष्ट दिखाई देता है।

महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता

दुनिया के इतिहास में महिलाओं को राजनीति से दूर क्यों रखा गया? क्या राजनीति ने लोगो का शोषण नहीं किया है? जीवन की रक्षा सम्पत्ति की रक्षा को छोड़कर जो लोग धर्म की रक्षा के पीछे भागते हैं वे क्रूर राजनीति को जन्म देते हैं, विकृत करते हैं और खुद को देश भक्त राष्ट्रभक्त बताकर राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करते हैं और पुरूष अपने शारीरिक बल और क्रूरता के व्यवहार से सत्ता के अहंकार को संचालित करता है। इसीलिए राजनीतिक दुनिया में नरम स्वभाव की महिलाए पूरी दुनिया में राजनीतिक सहभागिता से वंचित रही हैं। इस तरह राजनीति में महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता की भागीदारी न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में कम रही है। आधुनिक युग में राजशाही का अन्त कर लोकतंत्र को स्थापित किया और भारतीय संविधान में उन्हें स्थान मिला। जिसे पूरी दुनिया में राजनीतिक सहभागिता में स्थान मिला और मताधिकार की सहभागिता से लेकर संसद की बहस तक सहभागिता के उदाहरण के प्रतिमान को स्थापित किया।

अलीराजपुर व झाबुआ में महिला मतदातओं की स्थिति

मध्यप्रदेश राज्य के गठन के बाद 1956 से लेकर आज तक और 2000–1 छत्तीसगढ़ के गठन के बाद जनजातीय समुदाय को अलग थलग करने का षडयंत्र यह था कि कहीं आदिवासियत की प्रभुत्व शक्तिया राज्य में सत्ता न कायम कर ले इसीलिए राज्य को दो टुकड़ों में बाट दिया। दो टुकड़ों में बाट देना राज्य की सीमाओं का बटवारा नहीं है बल्कि यह आदिवासियों की आदिवासियत की हक हुकूमत सत्ता छीनने के लिए बहुसंख्यक आदिवासियों के मताधिकार को विभाजित कर अल्पमत में परिवर्तित कर दिया गया है। वर्तमान स्थिति यह है कि बहुसंख्यक क्षेत्रों में विभाजित कर दिया और दोनों राज्यों के बहुसंख्यक क्षेत्र अर्थात 50 प्रतिशत आबादी वालं क्षेत्रों में आदिवासियों का पेसा एक्ट 1996 को लागू नहीं किया गया क्यो ?। क्यो कि यह सरकार का भ्रम और भय है कि उनकी सत्ता को आदिवासी जमात के लोग छीन न ले। परिणामस्वरूप आदिवासियों की मतों को विभाजित करने के लिए आदिवासियों को कबीले टुकड़ों में बाटों और राज करों की नीति को अपनाया है। इसका ताजा तरीन उदाहरण पच्चीस अपैल 2022 को 22 राज्यों के आदिवासी दिल्ली संसद के जंतर–मंतर में आन्दोलन किया है। यह अस्तित्व और अस्मिता की पहचान खातिर आन्दोलन 75 वर्षों से लगातार जारी है। इस आदिवासी धर्म को जनगणना में शामिल क्यों नहीं किया जाता क्यों कि सारे देश के आदिवासियों में धार्मिक एकता कायम न हो सके। आज आदिवासी पहचान अपनी अस्तित्व और अस्मिता के खातिर संघर्ष कर रहा है। जबकि आदिवासियों की मतदान स्थिति का पता उनके निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व में देखा जा सकता है कि लोकसभा में आदिवासियों के 47 संसद प्रतिनिधि और राज्यों की विधानसभाओं मे 551 विधायक देश भर से निवाचित होते हैं फिर भी उनके न केवल धार्मिक अधिकारों को बल्कि सभी मूलभूत अधिकारों को कुचला जा रहा है। यही परिदृश्य झाबुआ और अलीराजपुर क्षेत्र में उभरा हुआ है। अनीता चौहान अलीरालपुर जिले में जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। सुलोचना रावत जोबट विधानसभा में विधायक, अलीराजपुर झाबुआ से गुमान सिंह डामोर सांसद के रूप में निर्वाचित हैं। इससे पता चलता है है। अलीराजपुर और झाबुआ में भी उससे भी गई बीती महिला मतदाओं की स्थिति है, यह क्यों है?

भारतीय राजनीति में महिलाओं की सक्रिय राजनीति

आजादी के बाद स्वतंत्र भारत में प्रथम सरकार ने बीस कैबिनेट मंत्रालयों में से केवल एक महिला मंत्री थी। जिन्हें स्वस्थ्य मंत्रालय का प्रभार सौपा गया था। लालबहादुर शास्त्री के प्रधान मंत्रीत्व काल में उनकी सरकार में एक भी महिला मंत्री की उपस्थिति नहीं थी। यहा यह भी उल्लेखनीय है कि इंन्दिरा गांधी के प्रधान मंत्रीत्व काल में भी एक भी महिला मंत्री नहीं थी। राजीव गांधी के प्रधान मंत्रीत्व काल में केवल एक महिला मोहिसिना किदवई को मंत्री मण्डल में शामिल किया गया था। वर्तमान सरकार में सत्राहवीं लोकसभा ने 78 महिलाए सांसद निर्वाचित हुई। जो कि अब तक के संसदीय इतिहास में सबसे अधि महिलाओं की उपस्थिति है। जो कि कुल सांसदों का 14 प्रतिशत है। जिसकी तुलना स्केवेण्डीयन देशों नहीं की जा सकती है। जहां महिलाओं की संसद में उपस्थिति 50 प्रतिशत से अधिक है।

निष्कर्ष

निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि मध्यप्रदेश के अलीराजपुर व झाबुआ जिलें में आदिवासी महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता काफी हद तक देश व राज्य की राजनीतिक सहभागिता सामान्य स्थिति से अलग है। जिन लक्ष्यों के साथ डॉ. अम्बेडकर भारतीय राजनीति में महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता को देखना चाहते थे। आज उनके सपनों के विपरीत राजनीतिक प्रतिनिधत्व दिखाई पड़ता है।क्यों कि डॉ. अम्बेडकर चाहते थे कि महिलाओं को सामाजिक प्रतिष्ठा सम्मान और सशक्तीकरण को राजनीति के क्षेत्र में एक नई ऊँचाई मिले। डॉ. अमबेडकर का मानना था कि जातिवाद गाँव में फलता फूलता है इसलिए ग्रम पंचायतों के विकेन्द्रीकरण के खिलाफ़ थे वे ग्राम पंचायतों की इकाई का केन्द्रीकरण करना चाहते थे। वास्तव में डॉ. अम्बेडकर ग्राम पंचायतो को अधिकार देने के पक्ष में नहीं थे। यही वजह है कि भारतीय संविधान में पंचायतों को संवैधानिक दर्जा 1993 में दिया गया फलतः महिलाओं का आरक्षण का प्रावधान किया गया है लेकिन विशेष जनजातीय पिछड़ी समूह की महिलाओं में आज भी वास्तविक राजनीतिक प्रतिनिधित्व का अभाव होता है। इसीलिए इन क्षेत्रों में राजनीतिक सहभागिता के लिए पेसा एक्ट 1996 को लागू करने की माँग सरकार से कर रहे है।

संदर्भ सूची

1. बाबासाहेब डॉ.अम्बेडकर (संपूर्ण वाङ्मय)–डा.अम्बेडकर प्रतिष्ठान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली
2. महिलाएं तथा शासन राज्य की पुनर्कल्पना एक रिपोर्ट (एकत्र) सोसाइटी फॉर डेवलपमेंट आल्टरनेटिव्स फॉर विमेन, नई दिल्ली, 2002, पृ. 9.
3. 2. वही, पृ. 10.
4. डॉ. सरला गोपालन, समानता की ओर अपूर्ण कार्य, भारत में महिलाओं की स्थिति – 2001, राष्ट्रीय महिला आयोग, 2002, पृ. 281.
5. डॉ. सरला गोपालन, समानता की ओर अपूर्ण कार्य, भारत में महिलाओं की स्थिति – 2001, राष्ट्रीय महिला आयोग, 2002, पृ. 283.
6. गोपालन सरला, पूर्वांक, पृ. 283.
7. अलका आर्य, जनसत्ता, 18 अक्टूबर, 2008, प्रकाशित दिल्ली, पृ. 6.
8. राज्य सभा में 1960–99 में सदस्यों का परिचय लार्डिस, सचिवालय के संदर्भ विभाग द्वारा संकलित.
9. डॉ. सरला गोपालन, जेन्डर एंड गवर्नेंस, महबूब उल हक मानव विकासकेन्द्र, दक्षिण एशिया में मानव विकास, 2000 के लिए तैयार पत्रक.
10. गोपालन सरला, समानता की ओर, पूर्वांक, पृ. 294.
11. वृंदा करात, हिन्दुस्तान, 20 जुलाई, 2002, प्रकाशित दिल्ली.
12. द टाइम्स ऑफ इण्डिया, 10 अक्टूबर, 2010, पृ. 1.
13. महिलाऐं तथा शासन, राज्य की पुनर्कल्पना, एक रपट, एकत्र, सोसायटी फॉर डेवलपमेंट आल्टरनेट्विस फॉर विमेन, नई दिल्ली, पृ. 32–33.
14. भारत में पंचायती राज में महिलाओं की सहभागिता, राष्ट्रीय महिला आयोग, 2001, पृ. 101. 14. महिलाऐं तथा शासन, राज्य की पुनर्कल्पना, पूर्वांक, पृ. 55.
15. डॉ. सरला गोपालन, समानता की ओर अपूर्ण कार्य, पूर्वांक, पृ. 289. 16. वही, पृ. 292.
16. महिलाओं तथा शासन, राज्य की पुनर्कल्पना, पूर्वांक, पृ. 24. 18. वही।
17. नारी और प्रतिक्रांति–डा.बी.आर.अम्बेडकर
18. क्रांति तथा प्रतिक्रांति–डा.बी.आर.अम्बेडकर
19. सावित्रीबाई फुले, काल आणि कर्तव्य (2006)–महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृत मंडल, मुम्बई